



Speed Post
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली-110016

Kendriya Vidyalaya Sangathan (Hqrs.),
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi - 110016

दूरभाष: 26855532, फैक्स :26514179

ईमेल: sopickvs@gmail.com.

वेबसाइट: www.kvsangathan.nic.in

फा.11011/6-4/2017-केविसं (मु.)/पीआईसी/ 16890

दिनांक: 21.12.2017

विषय:- भारतीय कानून संस्थान (डीम्ड युनिवर्सिटी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पारदर्शिता लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

मुझे उपरोक्त विषय पर कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/1/2013 / जेएस (कानून) / कॉपी पत्र के साथ कार्यालय ज्ञापन सं 11014/4/2017-आईएफसी / आरटीआई दिनांक 1 दिसंबर, 2017 की एक प्रति के साथ अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। सुश्री अंजलि आनंद श्रीवास्तव, केन्द्रीय सूचना आयोग के सचिव, कक्ष सं 295, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली से 21 नवंबर, 2017 को टीए / सीआईसी-वॉल्यूम III की तहसील यानी पारदर्शिता लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय कानून संस्थान (डीम्ड युनिवर्सिटी) नई दिल्ली द्वारा संकलित सार्वजनिक प्राधिकरण (एमएचआरडी-वी) ने एमएचआरडी से प्राप्त पत्र नंबर के माध्यम से प्राप्त किया। एफ.17-149 / 2017 / यूटी -2 दिनांकित 08.12.2017 (कॉपी संलग्न) जिसमें केविसं को 'डी' ग्रेड दिया गया है क्योंकि केविसं वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप किसी भी संबंधित शाखाओं, केविसं वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी और सूचना, जन सूचना प्रकोष्ठ को सूचित करें, ताकि सुधार / जोड़ के बाद दस्तावेजों की जांच करी जा सके एवं तत्पश्चात 2 जनवरी 2018 तक जन सूचना प्रकोष्ठ द्वारा आगे की कार्यवाही की जा सके एवं के.सू.आ. और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अवगत कराया जा सके।

ln
21-12-2017
(नीलम)

सहायक आयुक्त (प्रशासन)के.सू.आ./ज.सू.प्र.

संलग्नक: यथोपरि।

वितरण:-

1. सभी अनुभाग अधिकारी, केविसं (मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
2. सभी सहायक आयुक्त/उपायुक्त, केविसं /जसूअ, क्षेत्रीय कार्यालयों व आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपरोक्त के अनुपालन हेतु।
3. सभी उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय एवं सभी निदेशक आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् प्रथम अपीलीय अधिकारी, सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपरोक्त के अनुपालन हेतु।
4. सभी केजसूअ एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केविसं(मु.), को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
5. कमिश्नर के निजी सचिव, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
6. अपर आयुक्त(शैक्षिक) के निजी सचिव, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त(शैक्षिक)(ईडीपी), केविसं(मु.) को सूचनार्थ एवं केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ln
21/12



Speed Post
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली-110016

Kendriya Vidyalaya Sangathan (Hqrs.),
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi – 110016

दूरभाष: 26855532, फैक्स :26514179

ईमेल: sopickvs@gmail.com.

वेबसाईट: www.kvsangathan.nic.in

NO.F.11011/6-4/2017-KVS (Hqrs.)/PIC/ 16890

Dated: 21.12.2017

Subject:- Transparency Audit Report of MHRD conducted by the Indian Law Institute (Deemed University), New Delhi

I am directed to forward herewith a copy of Office Memorandum No. 11014/ 4/ 2017-IFC/RTI dated 01st December 2017 on the subject mentioned above alongwith a copy of DO letter No. 6/1/2013/JS (Law)/TA/CIC-Vol.III dated 21st November 2017 from Ms. Anjali Anand Srivastava, Secretary, Central Information Commission, Room No. 295, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi with its enclosure i.e. Transparency Audit Report of Public Authorities (MHRD-V) compiled by the Indian Law Institute (Deemed University) New Delhi received from the MHRD vide their letter no. F.17-149/2017/UT-2 dated 08.12.2017 (copy enclosed) in which KVS has been given 'D' grade since KVS website is not updated regularly.

In view of the above you are requested to check the documents for correction/addition, if any of concerned branches, the information uploaded on the KVS website and inform the Public Information Cell so that CIC and MHRD will be informed about the action taken by the KVS latest by 2nd January 2018.

Neelam.
20-12-2017
(Neelam)

Assistant Commissioner (Admn)CIC/PIC

Enclosure:- As above

Distribution:-

1. All Section Officers, KVS (Hqrs), New Delhi for information and necessary action.
2. All Assistant Commissioners/Deputy Commissioners of KVS /PIO's of RO's and ZIET's for similar action.
3. All Deputy Commissioners, KVS, Regional Offices and All Directors ZIETs i.e 1st Appellate Authorities of RO's and ZIET's for similar action.
4. All CPIO's and 1st Appellate Authority of KVS (Hqrs.) for information and necessary action.
5. DC(Acad) (EDP), KVS (Hqrs.) for information with the request to upload on KVS website. (RTI heading)
6. P.S to Commissioner, KVS (Hqrs.) New Delhi for information, please.
7. P.S to Addl. Comm. (Acad) KVS (Hqrs.) for information, please.